राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक–प. 5(31) साप्र/3/82

जयपुर, दिनांक : 10 AUG 2018

–: अधिसूचना :–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 1022/1989 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय एवं मंत्रिमण्डलीय आज्ञा संख्या 75/2002 दिनांक 21.08.2002 के क्रियान्वयन में राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा व राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को कार्यालय एवं आवास पर निःशुल्क टेलीफान कॉल्स की सुविधा के संबंध में पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या प.5(31) साप्र/3/82 दिनांक 12.09.2005 के स्थान पर न्यायिक अधिकारियों के निवास पर दूरभाष सुविधा राज्य सरकार के अधिकारियों के समान उपलब्ध कराने हेतु इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.5(31)साप्र/3/82 दिनांक 14.08.2013 के अनुरूप निम्नानुसार टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करवाने की स्वीकृति माननीय राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं :–

क्र. सं.	पदनाम/वर्ग	वर्तमान निःशुल्क कॉल्स सीमा		सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 14.08.13 के अनुसार निवास पर देय राशि
		कार्यालय	निवास	
1	जिला एवं सैशन जज या समकक्ष अधिकारी (निवास एवं कार्यालय पर एसटीडी सुविधा सहित)	3000 द्विमासिक	2000 द्विमासिक	5250/– रु प्रतिमाह
2	अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज या समकक्ष अधिकारी एवं वरिष्ठ सिविल जज एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या समकक्ष अधिकारी (निवास एवं कार्यालय पर एसटीडी सुविधा सहित)	2000 द्विमासिक	1000 द्विमासिक	3750/– रु प्रतिमाह
3	वरिष्ठ सिविल जज एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या समकक्ष अधिकारी एवं सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट या समकक्ष अधिकारी (निवास एवं कार्यालय पर एसटीडी सुविधा सहित)	1500 द्विमासिक	750 द्विमासिक	2625/– रु प्रतिमाह

उक्त अधिसूचना पर इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.08.2013 एवं उसके संदर्भ में समय समय पर जारी आज्ञा/आदेश/संशोधन इत्यादि में उल्लैखित शर्तें लागू रहेंगी।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. सं0 101800784 दिनांक 12.02.2018 एवं मंत्रीमण्डलीय आज्ञा संख्या 115/2018 दिनांक 12.07.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

10/8/2018

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

Room No. 1133, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005,
Tel. No. (Jt. Secy)-0141-2227874/9414085447, (AS)9414043554 (SO)-2227776 (Fax)-5116626, 2227928
Website: www.gad.rajasthan.gov.in, Email-gadsec111@rediffmail.com

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव।
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा. मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
5. उप सचिव, (निजी सचिव), मुख्य सचिव।
6. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
9. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
10. रज़िस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
11. समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश, राजस्थान।
12. सोलिसिटर जनरल, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान।
14. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
15. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र विशेषांक में अधिसूचना के प्रकाशन के निवेदन के साथ।
16. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
17. निदेशालय, सम्पदा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
18. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
20. प्रशासनिक सुधार (संहिताकरण) विभाग, तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ।
21. शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर को मंत्रिमण्डल निर्णस सं. 115/2018 दिनांक 12.07.2018 के क्रियान्वयन के संबंध में।
22. समस्त कोषाधिकारी।
23. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. पी.डी. पारीक)
उप शासन सचिव